Neutral Citation No. - 2024:AHC:192184

Court No. - 64

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 32226 of 2024

Applicant :- Halkaee Ahirwar
Opposite Party :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Applicant :- Mohd. Shakil,Shams Tabrez Ali
Counsel for Opposite Party :- Babita Upadhyay,G.A.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

1–विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 18–9–2024 के अनुपालन में अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया गया, इसे पत्रावली पर रखा जाए।

2–यह दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 42 वर्ष 2024, अन्तर्गत धारा 376DA, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 5g/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 67बी आई. टी. एक्ट, थाना सौजना, जिला ललितपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20–4–2024 को वादी मुकदमा मुकेश अहिरवार जो पीडिता का पिता है उसके द्वारा प्रश्नगत प्राथमिकी सम्बन्धित थाने पर इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसकी पुत्री/पीडिता जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वह दिनांक 29–3–2024 को सुबह समय करीब 10–00 बजे शौच क्रिया के लिए वन विभाग के सामने बने प्लाट पर गयी थी। उसी समय उसके गांव का ही बृजेश अहिरवार आया और उसने कहा कि उर्मिला से मिला दो। बृजेश उसके परिवार का चाचा है। मैंने कहा कि वह यह सब काम नहीं सकता। प्रार्थी की पुत्री एवं बृजेश की यह सब बात हो रही थी कि उसी समय गांव के रहने वाले हल्काई अहिरवार व घूमन अहिरवार व सेवाराम अहिरवार आये और कहने लगे जैसा हम लोग कहे वैसा करो कि तुम दोनों अपने कपडे

उतारो। प्रार्थी की पुत्री एवं बृजेश ने कपडे उतार दिए फिर उक्त सभी लोगों ने दोनो की विडियो बना ली और उक्त चारों लोगों ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया और कहा कि यह सब बातें घर पर नहीं कहना नहीं तो जान से मार देगें।

4—आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 4 हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती बबिता उपाध्यय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5—आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक निर्दोष है उसे प्रश्नगत मामले में झूठा फसाया गया है। प्रश्नगत प्राथमिकी 22 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जैसा कि प्रश्नगत प्राथमिकी में वर्णित किया गया है। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 व प्राथमिकी में एकरूपता नहीं है। आवदेक का प्रश्नगत मामले से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 21—4—2024 से जेल में निरूद्व है। ऐसी दशा में आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने योग्य है।

6—आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

7—दौरान बहस, विपक्षी संख्या 4 हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती बबिता उपाध्यय उपस्थित द्वारा कथन किया गया कि पीडिता अवयस्क है, जिसकी आयु 14 वर्ष है, जिसके साथ आवेदक पर सह—अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप है। आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा सामूहिक बलात्संग का विडियो बनाकर उसे वायरल किये जाने का भी आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक

बलात्संग किये जाने का विडियो सी0 डी0 विवेचक द्वारा केस डायरी का भाग बनाया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि "तमामी विवेचना, बयान वादी, घटनास्थल, बयान पीडिता 161 व 164 दं0 प्र0 सं0 तथा बयान स्वतन्त्र गवाह व अभियुक्त सेवाराम के मोबाईल फोन से मुकदमा उपरोक्त की पीडित का अश्लील विडियो वायरल करने आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट का अपराध होना पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट की बढोत्तरी की जाती है। अग्रिम विवेचना धारा 376 डी (1), 506 भा0 दं0 सं0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट व 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट में सम्पादित की जायेगी"।

8—आगे विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रश्नगत मामले के चारों अभियुक्तों ने तथाकथित घटना कारित की है। पीडिता मात्र 14 वर्ष की अबोध बालिका है। आवेदक का यह कृत्य समाज के प्रति बेहद गम्भीर एवं घृणित प्रकृति का है। आवेदक प्रश्नगत प्राथमिकी में नामजद है। ऐसी दशा में आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

9—आदेश दिनांक 18—9—2024 के द्वारा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को आदेशित किया गया था कि वह इस सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट न्यायालय को दे कि बरामद मोबाईल में आपत्तिजनक फोटों/विडियो को देखा जा सकता है अथवा नहीं, जिसके सम्बंध में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके प्रस्तर 3 में इसी प्रकार से ही वर्णन किया गया है, जैसा कि ऊपर विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है।

10—पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पीडिता अवयस्क है, जिसकी आयु 14 वर्ष है, जिसके साथ आवेदक पर सह—अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप है। आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा

सामूहिक बलात्संग का विडियो बनाकर उसे वायरल किये जाने का भी आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक बलात्संग किये जाने का विडियो सी0 डी0 विवेचक द्वारा केस डायरी का भाग बनाया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि बयान पीडिता 161 व 164 दं0 प्र0 सं0 तथा बयान स्वतन्त्र गवाह व अभियुक्त सेवाराम के मोबाईल फोन से मुकदमा उपरोक्त की पीडिता का अश्लील विडियो वायरल करने आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट का अपराध होना पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम विवेचना धारा 376 डी (1), 506 भा0 दं0 सं0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट व 67 बी0 आई0 टी0 एक्ट में सम्पादित की जायेगी।

11—चूँकि प्रश्नगत मामले के चारों अभियुक्तों ने तथाकथित घटना कारित की है। पीडिता मात्र 14 वर्ष की अबोध बालिका है। आवेदक का यह कृत्य समाज के प्रति बेहद गम्भीर एवं घृणित प्रकृति का है। आवेदक प्रश्नगत प्राथमिकी में नामजद है। ऐसी दशा में आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

12—तदनुसार आवेदक का यह जमानत प्रार्थनापत्र बलहीन है एवं **निरस्त** होने योग्य है।

13—तदनुसार आवेदक का यह जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

14—विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत मामले का निस्तारण यथाशीघ्र यदि सम्भव हो तो इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के **एक वर्ष** के अन्दर नियमानुसार किया जाए।

Order Date :- 9.12.2024
A.

Digitally signed by :-
AFAQ AHMAD
High Court of Judicature at Allahabad